

Regarding inclusion of Bhojpuri in the 8th Schedule

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : महोदया, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे एक अत्यंत ही लोक महत्व के विषय को उठाने का अवसर दिया है।? (व्यवधान) यह विषय महाराष्ट्र से भी जुड़ा हुआ है।? (व्यवधान) वहाँ पर भी छठ का पर्व मनाया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 6 करोड़ लोग आज भी भोजपुरी भाषा भारत में बोलते हैं। सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुयाना, मॉरीशस आदि में भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी मॉरीशस में सेकेंड लैंग्वेज है। यह नेपाल में चलती है, भोजपुरी में ओथ ली जाती है। आज राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भोजपुरी भाषा बोलने वालों की संख्या बहुत है। यह भाषा आज भी संविधान की 8 वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इस सदन में कई बार आश्वासन भी आ चुका है। आज भारत और भारत से बाहर रहने वाले करोड़ों लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं। मेरी माँग है कि भोजपुरी को संविधान की 8 वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर से उन करोड़ों लोगों की भावनाओं को पूरा करने के लिए भोजपुरी भाषा को संविधान की 8 वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। धन्यवाद।

महोदया, इस सदन में कई बार इसके लिए आश्वासन भी दिए गए हैं। आज भारत में और भारत के बाहर रहने वाले करोड़ों लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं। उस भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूँ कि सरकार उन करोड़ों लोगों की भावनाओं को पूरा करने के लिए भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करे।